(101)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक ३१.०३.१९९७ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९७ की द्वितीय तथा परिषद की (१६५वीं) बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक ३१.०३.९७ को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

अध्यक्ष

१- सर्वश्री ब्रजेन्द्र सहाय
मुख्य सचिव/अध्यक्ष
उ०प्र० शासन।

सदस्य

२- श्री ए०पी० सिंह
प्रमुख सचिव, आवास
उ०प्र० शासन।

सदस्य

३- श्री रणजीत कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
सार्वजनिक उद्यम विभाग
उ०प्र० शासन
(प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि)

सदस्य

४- श्रीमती सुरजीत कौर सन्धु
आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

सदस्य

५- श्री अवध बिहारी मिश्र
मुख्य अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
(प्रबन्ध निदेशक जल निगम के प्रतिनिधि)

सदस्य

६- श्री के०पी० सिंह
मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक
उ०प्र०, लखनऊ।

सदस्य

७- श्री बी०बी० गर्ग,
उप निदेशक
सी०बी०आर०आई०,
रूढ़की।
(निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रूढ़की के प्रतिनिधि)

सदस्य

८- श्री एस०के० वर्मा
मुख्य अभियन्ता
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

विशेष आमन्त्री के रूप में।

१- श्री ए०के० पचौरी
मुख्य वास्तुविद नियोजक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

२- श्री हामिद मुस्तफा
वित्त नियन्त्रक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

...२/-

102

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

१	२	३
१.	परिषद की १६४वीं बैठक दिनांक २८.२.९७ की कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की १६४वीं बैठक दिनांक २८.२.९७ के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी :- मद सं.-५ के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जल निगम तथा निर्माण निगम द्वारा डिपाजिट कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की क्या प्रक्रिया है, उसका अध्ययन करके परिषद के समक्ष अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय और इस बीच डिपाजिट कार्यों के सम्पादन हेतु परिषद द्वारा वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाय।
२.	परिषद की १६४वीं बैठक दिनांक २८.२.९७ की अनुपालन आख्या।	अवलोकित किया गया।
३.	हडको पोषित ८ योजनाओं में अपेक्षित ऋण रू. १५८७.७४ लाख की सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया।
४.	वित्तीय वर्ष १९९६-९७ के पुनरीक्षित एवं वर्ष १९९७-९८ हेतु प्रस्तावित आय-व्यय अनुमान।	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये की पुरानी सम्पत्तियों की बिक्री होना आवश्यक है। अतः इसकी बिक्री में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए अलग से इस आशय की एक टिप्पणी प्रमुख सचिव, आवास एवं अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायकि सम्पत्ति बिक्री से कम से कम रू. १५० करोड की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है। यह भी निर्देश दिये गये कि बजट के पृष्ठ-२४ से २७ पर दी गयी तालिका के योग्य में टंकण की त्रृटि को सुधार लिया जाय। निर्माण कार्यों में वृद्धि करके प्रशासनिक व्ययों के प्रतिशत में कमी लाई जाय।
५.	श्रीमती सरला के. रूईया, गाजियाबाद को भवन निर्माण हेतु रू. ८०,०००/- के ऋण के प्रतिदान में विलम्ब पर आरोपित दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में।	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
६.	श्री जोखूलाल यादव, मा. विधायक को झूँसी योजना सं.-३, इलाहाबाद स्थित भवन संख्या-६/३०१ के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज/भुगतान विकल्प परिवर्तन शुल्क माफ करने के संबंध में।	विचार-विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यदि आवंटी पूरा पैसा नियमानुसार जमा कर देते है, तो ५० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ किया जाय परन्तु विकल्प परिवर्तन शुल्क माफ न किया जाय।
७.	आवासीय भवनों तथा भूखण्डों हेतु वर्तमान में निर्धारित पंजीकरण धनराशि में संशोधन।	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

103

वकीलुरहमान, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण
5-33, अलीगढ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के
न्ध में।

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री वकीलुरहमान, अधिशासी अभियन्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण पर शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाय।

ेष वेतनवृद्धि की स्वीकृति का अधिकार
स आयुक्त(म.) को दिये जाने के संबंध में।

विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

ला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं.-
ग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री रामस्त्र
मिल्स की भूमि के संबंध में।

परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद की १६४वीं बैठक दिनांक २८.२.९७ के मद संख्या-५९ में संशोधन करते हुये निम्न निर्णय लिया गया :-

१. श्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल्स को २.९० एकड़ भूमि का विकास शुल्क के स्थान पर वर्तमान दर से असुधार शुल्क(बैटरमेंट चार्जेस) देना होगा।
२. मिल्स को उच्च न्यायालय में दायर वाद को वापस लेना होगा।
३. मिल्स द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल दफ्ती सुखाने के लिये किया जायेगा, कोई अन्य उपयोग करने की दशा में सम्पत्ति वापस ले ली जायेगी।

पुष्टि की गयी
[signature]
अध्यक्ष